भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 162
(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितंबर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया गया)

कंपनी कानून का उल्लंघन

162. डॉ॰ संजीव कुमार शिंगरीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेः

(क) क्या सरकार को कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की कोई जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) ऐसे कितने मामलों में जांच की गई है और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास उन कंपनियों की सूचना है जिन्होंने कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एमसीए को या तो सीधे अथवा क्षेत्रीय निदेशकों (आरडी)/कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) के माध्यम से आम जनता (व्यक्तिगत/एंटीटीज), अन्य मंत्रालयों इत्यादि से कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती है जिनकी जांच की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसमें जांच का आदेश देना और जांच संचालित करना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(1),(4),(5), धारा 210 और धारा 212 के अनुसार क्रमशः निरीक्षण और अन्वेषण, जैसा भी मामला हो, ऐसी कपट प्रकृति की शिकायतों में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर जिसमें बहु-अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित है, जहां बड़ा सार्वजनिक हित और बड़ी धनराशि के संव्यवहार शामिल हैं, एमसीए द्वारा गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपे जाते हैं।

2018-19 और 2019-20 से गत दो वर्षों के दौरान आदेशित जांचों/निरीक्षणों/अन्वेषणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

धारा 206(4) के अंतर्गत आदेशित जांच की संख्या	**धारा 206(5) के अंतर्गत आदेशित निरीक्षण की संख्या**	**धारा 210 के अंतर्गत आदेशित अन्वेषण की संख्या**	**एसएफआईओ के लिए धारा 212 के अंतर्गत आदेशित अन्वेषण की संख्या**
878	674	167	59

जांचों/निरीक्षणों/अन्वेषणों के आदेश देने संबंधी कारण मामला-दर-मामला आधार पर भिन्न-भिन्न हैं जैसे कि कपटें, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जनता से प्राप्त निक्षेप का धन वापस नहीं करना, अन्य मंत्रालयों से प्राप्त शिकायतें, कंपनियों द्वारा उधारी पर बैंकों द्वारा फाइल की गई शिकायतें और माननीय न्यायालय/अधिकरण के आदेशों के आधार पर अग्रेषित करना शामिल हैं।

(ग): ऐसे 660 मामले हैं जिसकी जांच कराई गई है। निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन फाइल किए हैं।

******